उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–12/2022–23

मंटू यादव एवं अन्य

बनाम्

चुन्नीलाल यादव एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 18/11/22

प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी वकील को सुना। अपील आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के सेटलमेंट एक्स केश नं0 95/1956–57 के आदेश दिनांक 14.05.1957, 20.05.1957 एवं दिनांक 17.06.1957/18.06.1957 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है एवं अपील आवेदन को अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि न्यायिक दण्डाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में धारा 307 आई0पी0सी0 एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत एक मामले में सुनवाई के समय अपीलकर्त्ता को पता चला कि चुन्नीलाल यादव पे0–स्व0 शिवलाल यादव सा0–लाठीबाड़ी, थाना–पौड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा ने मौजा झपनीबाँध के जमाबंदी सं0 40/क, दाग नं0 143 रकवा 02–19–12 धुर जमीन को उनके दादा स्व0 अर्जन महतो से दिनांक 02.07.1957 को बदलैन से प्राप्त करने का दावा किया गया है। जबकि अपीलकर्त्ता के पूर्वज ने किसी के साथ उक्त जमीन का बदलानामा नहीं किया है। अभी भी अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी की सम्पूर्ण जमीन का लगान का भुगतान कर रहे हैं। अपीलकर्त्ता को हाल में ही उक्त बदलानामा के सम्बंध में पता चला है। पता चलने पर सम्बधित अभिलेख का अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील आवेदन दायर किया है और बिलम्ब के लिए देरी माफी हेतु अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत दिया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य है। उन्होने अपील आवेदन को अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी वकील का कथन है कि बहुत बिलम्ब से अपील आवेदन दिया गया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य नहीं है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील के बहस सुनने एवं अपील आवेदन के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के सेटलमेंट एक्स केश नं0 95/1956–57 (अर्जन महतो बनाम् मो0 बिली महतो एवं अन्य) के आदेश दिनांक 14.05.1957 के द्वारा बदलैन का अनुमति दिया गया है। और वर्ष 1957 के बाद वर्ष 2022 में अपील वाद दायर किया गया है। इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बाद अपील वाद को अंगीकार करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि विन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.12.30 11:44:59 +05:30
Location: 172.25.192.1